

कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक:- एफ.8(भूमि) () 2025/394-8

दिनांक 27/8/2024

-: ले-आउट प्लान कमेटी बैठक कार्यवाही विवरण :-

नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3 (90)न0वि0वि0/3/2012 जयपुर दिनांक 21.06.2012 के द्वारा गठित ले-आउट प्लान कमेटी के आदेश के क्रम में गठित ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 27-8-24 को आयोजित की गई जिसमें सभापति महोदय द्वारा कमेटी की अध्यक्षता की गई जिसमें निम्न प्रकार से सदस्य उपस्थित हुए :-

क्र.स	नाम	पद नाम	विशेष विवरण
1	सुरेन्द्र सिंह यादव	आयुक्त, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
2	अजय कुमार शर्मा	अधिसापी अभियन्ता, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
4	वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर		सदस्य- अनुपस्थित
5	निखिल नैहरा	सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
6	धीरज कुमार	कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
7	अमित महेश्वरी	विधि सहायाकार, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य
8	गंगाराम	राजस्व निरीक्षक, नगरपरिषद हनुमानगढ़	सदस्य सचिव

ले-आउट प्लान कमेटी के समक्ष निम्न प्रकार से ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये:-

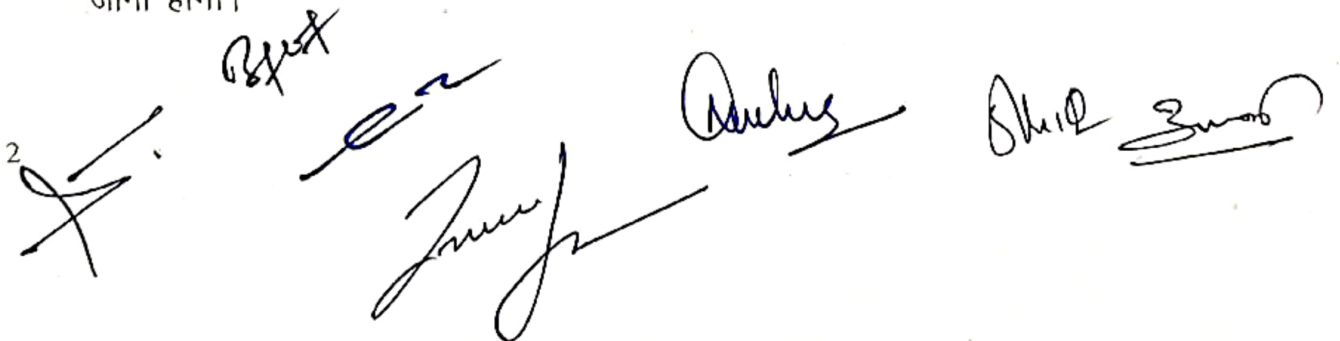
चिन्तु संख्या 01 :- चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन पत्थर नं. 123/244, 124/244, 123/245 एवं 124/245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।

विचार दिग्दर्श :- ले-आउट प्लान कमेटी के समक्ष चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन पत्थर नं. 123/244, 124/244, 123/245 एवं 124/245 कुल किता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र का ले-आउट प्लान अनुमोदन की पत्रावली प्रस्तुत की गई। प्राधिकृत अधिकारी नगरपरिषद द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में ले-आउट प्लान की तकनीकी जांच हेतु श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, बीकानेर को अपने पत्रांक 7607779 (राजकाज) दिनांक 27.05.2024 के द्वारा तकनीकी राय मांगी गई जिस पर श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन बीकानेर के पत्रांक 7801197 (राजकाज) दिनांक 05.08.2024 द्वारा तकनीकी अनुमोदन किया गया है। प्रश्नगत स्थल का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ परिषद स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अभिशप्ता की जाती है :-



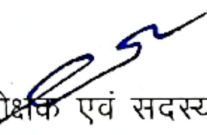
1. प्रकरण में भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई कार्यवाही वांछित है तो उक्त कार्यवाही के पश्चात ही योजना क्रियान्वन की कार्यवाही की जावे।
2. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग उत्तर दिशा में श्रीगंगानगर-अबोहर सड़क से प्राप्त हो रहा है जिसका मार्गाधिकार श्रीगंगानगर मास्टर प्लान में 150 फीट चौड़ा प्रावधानित है। योजना के मध्य मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क स्थित है तथा योजना सीमा से पूर्व दिशा में 80 फीट चौड़ी सड़क दर्शाई गई है जिसे योजना में यथावत् कायम किया जाना होगा, जिसकी सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
4. योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर सैटबैक टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार (विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020) एवं भवन विनियम 2020 के अनुसार पुनः निर्धारित किये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
5. टनुमोदित योजना मानचित्र में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का निस्तारण टाउनशिप पॉलिसी- 2010 एवं उक्त के परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों अनुसार किया जावेगा।
6. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
7. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
8. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सेक्टर के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे।
9. आवेदित भूमि के मध्य यदि कोई विद्युत लाईन स्थित हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा विभागीय आदेश दिनांक 17.06.2022 के प्रावधानानुसार आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाये अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकास स्तर पर अपेक्षित है।
10. आवेदित क्षेत्र में से यदि सिंचित खाला है तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण है तो उसे हटाया जाना होगा।

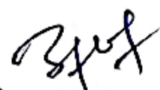
2

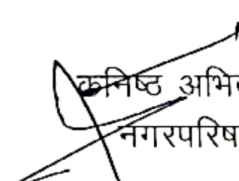


11. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधान के विन्दु संख्या 7.02 अनुसार योजना में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण सुविधा क्षेत्र/पार्क में किया जाना अनिवार्य होगा।
12. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/झूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है की सुनिश्चिता स्थानीय निकाय द्वारा की जाएं।
13. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद-विवाद व भू-स्वामित्व की जाँच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि का भाग, प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
14. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएं एवं यदि इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र व खसरा ट्रेस के अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति को स्वतः निरस्त समझा जाएं।

निर्णय :-ले-आउट प्लान कमेटी द्वारा सर्व सम्मति से चक नं. 3 एनडब्ल्यूएन पत्थर नं. 123/244, 124/244, 123/245 एवं 124/245 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 557445.18 वर्गफीट भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान मानचित्र का ले-आउट प्लान अनुमोदन में श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।


राजस्व निरीक्षक एवं सदस्य सचिव
नगरपरिषद हनुमानगढ़

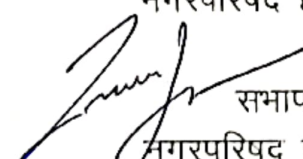

विधि सलाहकार एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़


कनिष्ठ अभियन्ता एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़


सहायक नगर नियोजक एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़


अधिशायी अभियन्ता एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़


आयुक्त
नगरपरिषद हनुमानगढ़


सभापति
नगरपरिषद हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक: एफ.8/भूमि()/2025-26/ 3130

दिनांक:- 08/11/2026

-:कार्यालय आदेश:-

नगरपरिषद्, हनुमानगढ़ द्वारा चक नं. 03 N.W.N. पत्थर नं. 133/242, मुरब्बा नं. 56, किला नं. 16/5(1176), 17(.253), 24(.253), 25/1(.228) स्थित गणेश विहार द्वितीय, वाणिज्यिक योजना हनुमानगढ़ जंक्शन प्रस्तावित है। उक्त क्रम में योजना में टाउनशीप पोलिसी अनुसार मूलभूत सुविधायें यथा सड़कें, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज, वाटर हार्वेस्टिंग का विकास निर्धारित समय सीमा में किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त क्रम में नगरपरिषद् के उत्तरदायी अधिकारियों/ कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि अनुसार मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य दिनांक- 26.08.2025 से 26.08.2028 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमांक : 3131 - 3134

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

दिनांक : 08/11/2026

प्रतिलिपि : वास्ते सूचनार्थ :-

1. श्रीमान प्रशासक महोदय, नगरपरिषद् हनुमानगढ़।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपरिषद् हनुमानगढ़।
3. सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद् हनुमानगढ़।
4. प्रभारी, भूमि शाखा, नगरपरिषद् हनुमानगढ़।

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ़